

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 71/2023
रजिस्ट्रेशन नं. :2023/81

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम
बांसवाड़ा (राज)

श्री जयन्तिलाल राजावत पुत्र श्री सुखलाल
राजावत निवासी 3/16 खांदु कोलोनी, जैन
मंदिर के पास, बांसवाड़ा मैसर्स आशिष ट्रेडर्स,
दुकान नं. 43, न्यू क्लॉथ मार्केट, बांसवाड़ा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 09-07-2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री शशिकान्त शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 17-10-2023 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 14-02-2023 को 2.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स आशिष ट्रेडर्स, दुकान नं. 43, न्यू क्लॉथ मार्केट, बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री जयन्तिलाल राजावत पुत्र श्री सुखलाल राजावत उपस्थित थे। विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स आशिष ट्रेडर्स, दुकान नं. 43, न्यू क्लॉथ मार्केट, बांसवाड़ा का निरीक्षण करने पर दुकान में गाय का घी (एसडी बंधन) रेक में 200 एम.एल के 15 पैकेट विक्रय हेतु रखे थे। उक्त गाय का घी (एसडी बंधन) में गुणवत्ता की कमी/ मिलावट/ मिसब्राण्ड का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए गाय का घी (एसडी बंधन) के 4 पैकेट प्रत्येक में 200 एम.एल वास्ते नमुना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 320/- रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जाँच हेतु खरीदशुदा गाय का घी (एसडी बंधन) के 4 पैकेट प्रत्येक में 200 एम.एल के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा का कोड क्रमांक **W-1298** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक



न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/187 दिनांक 15-03-2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 145 दिनांक 23-02-2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया गाय का घी (एसडी बंधन) का नमूना कोड क्रमांक **W-1298** Substanderd, Misbranded food under section 3(1)(zx), 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा गाय का घी (एसडी बंधन) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51, 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 19-10-2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 18.12.2023 को अप्रार्थी की ओर से श्री चन्द्रेश मेहता अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ।

दिनांक 20-02-2024 को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/187 दिनांक 15-03-2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 145 दिनांक 23-02-2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया गाय का घी (एसडी बंधन) का नमूना कोड क्रमांक

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. विला कलक्टर)
बॉसवाडा (राज.)

W-1298 Substandard, Misbranded food under section 3(1)(zx), 3(1)(zf) of food safety and standards act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगणों द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx), 3(1)(zf) के तहत सबस्टैण्डर्ड व मिस ब्राण्डेड पाया गया गाय का घी (एसडी बंधन) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 व नियम 2011 की धारा 51, 52 में निर्धारित है। अतः आरोपीगणों को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री जयन्तिलाल राजावत पुत्र श्री सुखलाल राजावत निवासी 3/16 खांदु कोलोनी, जैन मंदिर के पास, बांसवाड़ा मैसर्स आशिष ट्रेडर्स, दुकान नं. 43, न्यू क्लॉथ मार्केट, बांसवाड़ा को रूपये 75000/- (अक्षरे पिचहत्तर हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 09-07-2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।



(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति० जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)